Election of President

39. Shri Kamath: Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) the date on which the election of the President will take place; and

(b) whether the election will be held before Parliament and the State Legislatures are duly constituted as a result of General Elections?

The Minister of Law and Minority Affairs (Shri Biswas): (a) Under Section 4 of the Presidential and Vice Presidential Election Act, 1952, it is for the Election Commision to fix the programme and notify the date for election of the President.

(b) The Lok Sabha and the State Legislative Assemblies will have been constituted as a result of the General Elections before the election of the President takes place.

अनुसूचित आदिम जातियों की जन संख्या

४०. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९३१ की जन-गणना के अनुसार राजस्थान के उदयपुर, कोटा, जोधपुर और जयपुर डिवीजनों में भील और भीणा नाम की अनुसूचित जातियों की जन संख्या कितनी है।

(ख) द्वितीय सामान्य निर्वाचनों के पूर्व उनकी जन-संख्या कितनी मानी गई; और

(ग) इन दोनों आदिम जातियों की जन-संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार): (क) १९३१ की जन गणना के समय जातियों तथा आदिम की संख्या राज्यों, एजेन्सीयों और प्रशासन यूनिटों के द्वारा प्रकाशित की गई थी। वर्तमान डिवीजनों में भीलों की संख्या इस प्रकार है :—

१९३१ की जन गणना के अनुसार भीलों की संख्या

जयपुर डिवीजन	३,७०६
जोधपुर डिवीजन	३,४३
उदयपुर डिवीजन	५४९,७५७
कोटा डिवीजन	३४,००९

जहां तक भीणा का सम्बन्ध है १९३१ की जन-गणना में इस नाम की किसी जाति की गणना नहीं हुई। पूछी गई जाति सम्भव भीणा है जिसकी चार डिवीजन की संख्या १९३१ की जन-गणना के अनुसार निम्न-लिखित है :—

१९३१ की जन गणना के अनुसार भीणों की संख्या

जयपुर डिवीजन	३७५,८०९
जोधपुर डिवीजन	२९,१२१
उदयपुर डिवीजन	९४,९५५
कोटा डिविजन	१०३,७७४

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) एक्ट, १९५६, राज्य पुनर्गठन एक्ट, १९५६, तथा उस अन्तर्गत बनाए गए नियमों अनुसार अनुसूचित जाति तथा आदिम जातियों की संख्या का अनुमान लगाते समय जन-गणना अधिकारियों ने राज-स्थान की तीनों आदिम जातियों—भील, भीणा और गारसिया (राजपुत गारसिया को छोड़कर)—की संख्या अलग अलग न लेकर सम्मिलित रूप में ले ली जो कि १९४१ की जन-गणना पर आधारित है। इस बार डिवीजनों में इन तीनों आदिम जातियों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित है:—

१-३-१९५१ तक लगाए गए अनुमान के अनुसार

जयपुर डिवीजन	४८६,१९७
जोधपुर डिवीजन	१२६,९४६